

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222397
SG-DL-E-13102020-222397

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 162
No. 215]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942	[N. C. T. D. No. 162

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2020

फा. 112/स्वा. एवं परि.कल्या./2020/परिषद/डीएमसो/2092-98.— दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 3 तथा धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा दिल्ली चिकित्सा परिषद के सदस्यों के नाम प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

क्रम सं.	नाम	खण्ड जिसके अन्तर्गत नामित /चयनित किया गया है ।
1	2	3
1.	डॉ. अरुण गुप्ता	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (क)
2.	डॉ. राघव अग्रवाल	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (क)
3.	डॉ. नरेन्द्र सैनी	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (क)
4.	डॉ. पी.एन. पांडे	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (क)
5.	डॉ. एन.एन. माथुर – लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
6.	डॉ. मनीष नारंग – यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
7.	डॉ. मनीष कुमाथ – वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
8.	डॉ. मनीष सिंघल – ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)

9.	डॉ. निकेत वर्मा – आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
10.	डॉ. मृदु डुडेजा – हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च – एचआईएमएसआर	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
11.	डॉ. विजय धनकड़ – डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
12.	डॉ. राजीव सूद – अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
13.	डॉ. सौदान सिंह – उत्तर दिल्ली नगर निगम	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
14.	डॉ. सुशील कुमार – मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ख)
15.	डॉ. हरीश गुप्ता	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
16.	डॉ. प्रेम कुमार अग्रवाल	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
17.	डॉ. अश्विनी डालमिया	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
18.	डॉ. राकेश कुमार गुप्ता	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
19.	डॉ. अनिल कुमार भल्ला	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
20.	डॉ. पंकज सौलंकी	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
21.	डॉ. नरेश चावला	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
22.	डॉ. अश्विनी गोयल	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
23.	डॉ. सुभाष अग्रवाल	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ग)
24.	डीन, मेडिकल फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय (पदेन)	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (घ)
25.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन)	धारा (3) की उपधारा (3) का खण्ड (ङ)

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष का होगा।

यह माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अजय बिष्ट,
उप-सचिव (परिषद)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th October, 2020

F.112/H&FW/2020/Council/DMC/2092-98.—In exercise of the powers conferred by section 3 and sub section (1) of section 4 of the Delhi Medical Council Act, 1997 (Delhi Act 5 of 1997), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to publish the names of members of the Delhi Medical Council, namely:-

S.No.	Name	Clause under which nominated/elected
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Arun Gupta	Clause (a) of Sub-section (3) of Section (3)
2.	Dr. Raghav Aggarwal	Clause (a) of Sub-section (3) of Section (3)
3.	Dr. Narendra Saini	Clause (a) of Sub-section (3) of Section (3)
4.	Dr. PN Pandey	Clause (a) of Sub-section (3) of Section (3)
5.	Dr. N.N Mathur- Lady Hardinge Medical College	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
6.	Dr. Manish Narang- University College of Medical Sciences	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
7.	Dr. Manish Kumath- Vardhman Mahavir Medical College	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
8.	Dr. Maneesh Singhal- All India Institute of Medical Sciences	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
9.	Dr. Niket Verma- Army College of Medical Sciences	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
10.	Dr. Mridu Dudeja- Hamdard Institute of Medical Sciences and Research-HIMSR	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
11.	Dr. Vijay Dhankar- Dr. Baba Saheb Ambedkar College	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)

12.	Dr. Rajeev Sood- Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
13.	Dr. Saudan Singh- North Delhi Municipal Corporation (NDMC)	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
14.	Dr. Sushil Kumar- Maulana Azad Medical College	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3)
15.	Dr. Harish Gupta	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
16.	Dr. Prem Kumar Aggarwal	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
17.	Dr. Ashwani Dalmiya	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
18.	Dr. Rakesh Kumar Gupta	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
19.	Dr. Anil Kumar Bhalla	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
20.	Dr. Pankaj Solanki	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
21.	Dr. Naresh Chawla	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
22.	Dr. Ashwani Goyal	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
23.	Dr Subhash Aggarwal	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3)
24.	Dean, Medical Faculty, University of Delhi- (Ex-officio)	Clause (d) of Sub-section (3) of Section (3)
25.	Director, Health Services, Govt. of NCT of Delhi- (Ex-officio)	Clause (e) of Sub-section (3) of Section (3)

Subject to provisions of the aforesaid Act, the term of office of the above members shall be five years from the date of publication in the official Gazette.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister of Health, Government of National Capital Territory of Delhi.

AJAY BISHT,
Dy. Secy. (Council)